

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

[www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.8(61)RSSB/प.आ./कनि. अभि.सं.सी.भ.प./2020/68।

दिनांक: 13-11-2020

## विज्ञप्ति

सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम 1973 यथा संशोधित, जल संसाधन विभाग के लिये राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम- 1967 यथा संशोधित, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये राजस्थान अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1967 यथा संशोधित एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) उप नियम (Bye Laws)- 1977 यथा संशोधित के अन्तर्गत तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 के अन्तर्गत विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक/सिविल)(यांत्रिक/विद्युत) डिग्री/डिप्लोमा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 998 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 100 कुल 1098 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01/2020 क्रमांक: प.14 (81) R.S.S.B./अर्थना/कनि.अभि./भर्ती/2020/ 2073 दिनांक: 03.03.2020 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। बोर्ड की संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक: प.14 (81) R.S.S.B./अर्थना/कनि.अभि./भर्ती/2020/2168 दिनांक: 17.03.2020 के द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1114 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 105 कुल 1219 पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार "कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा- 2020" का संभाग मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन किया जायेगा :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम (जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जावेगा)	परीक्षा दिनांक
1	1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा- 2020	29-11-2020 (प्रथम पारी)
2	1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमा धारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा- 2020	29-11-2020 द्वितीय पारी
3	1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. जल संसाधन विभाग 3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 4. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा- 2020	06-12-2020 (प्रथम पारी)
4	1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. जल संसाधन विभाग 3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 4. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा- 2020	06-12-2020 (द्वितीय पारी)

अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- दिनांक 29.11.2020 को आयोजित होने वाली (प्रथम पारी व द्वितीय पारी) परीक्षाओं के अभ्यर्थी "प्रोविजनल ई- प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) से दिनांक: 20.11.2020 तथा दिनांक 06.12.2020 को आयोजित होने वाली (प्रथम पारी व द्वितीय पारी) परीक्षाओं के लिए दिनांक 27.11.2020 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगाने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
- रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
- अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय के 1½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें।
- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मध्यनजर अभ्यर्थियों के हैण्ड सेनेटाइजर/वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें।
- परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र यथा-मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक, उपस्थिति पत्रक

- पर चस्पा करने हेतु **2.5cm×2.5cm** साईज के नवीनतम **एक रंगीन फोटो** एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
10. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
  11. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
  12. ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।
  13. **उक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है:-**
    - (1) कोट, टाई, मफलर, जॉकिट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि न लगा हो, या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती हैं। **समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें।**
    - (2) परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना गर्मस्वेटर, जर्सी उतारकर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।
    - (3) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रॉच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी।
    - (4) परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा- अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
    - (5) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
    - (6) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
    - (7) गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घन्टा तीस मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspect Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।
- ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।**
14. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
  15. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
  16. **परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।**
  17. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

  
(डॉ. बी. एल. जाटावत)  
अध्यक्ष